

माल और सेवा कर (जीएसटी): संविधान (122 वां संशोधन) बिल, 2014 में 2016 के संशोधनों में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन

संविधान (122 वां संशोधन) बिल, 2014 लोकसभा में 19 दिसंबर, 2014 को पेश किया गया था।¹ इस बिल को लोकसभा में 6 मई, 2015 को पारित किया गया और तत्पश्चात राज्यसभा की सिलेक्ट कमिटी के पास विचारार्थ भेज दिया गया। कमिटी ने बिल पर अपनी रिपोर्ट 22 जुलाई, 2015 को सौंपी।² राज्यसभा ने संशोधनों के साथ बिल को 3 अगस्त, 2016 को पारित कर दिया।³ हम यहां राज्यसभा द्वारा पारित 2014 के बिल का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

राज्यसभा द्वारा पारित प्रमुख संशोधन

अंतरराज्यीय व्यापार पर अधिकतम 1% तक का अतिरिक्त कर

- 2014 का बिल (क्लॉज 18) : अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान केंद्र द्वारा माल की आपूर्ति पर अधिकतम 1% तक के अतिरिक्त कर की उगाही की जाएगी। यह कर उस राज्य को प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जाएगा जहां से आपूर्ति प्रारंभ की गई थी (जो आपूर्ति का मूल स्थान है)। यह दो वर्ष या उससे अधिक समय के लिए होगा, जैसा कि जीएसटी परिषद सुझाव देगी।
- 2016 के संशोधन : इस प्रावधान को हटा दिया गया है।
- सिलेक्ट कमिटी, 2015 : कमिटी का कहना है कि अधिकतम 1% तक का अतिरिक्त कर लगाने के प्रावधान से करों के कैसकेडिंग (कर के ऊपर कर) की आशंका बढ़ेगी।

राज्यों को मुआवजा

- 2014 का बिल (क्लॉज 19) : संसद, विधि द्वारा, एक निश्चित अवधि के लिए राज्यों को राजस्व की हानि होने पर मुआवजा प्रदान कर सकती है। यह अवधि पांच वर्ष तक की हो सकती है। यह जीएसटी परिषद के सुझावों के आधार पर निर्धारित होगा। इसका अर्थ यह है कि संसद निम्नलिखित निर्णय ले सकती है, (i) क्या वह मुआवजा देना चाहती है, और (ii) वह समय अवधि जिसके लिए वह ऐसे मुआवजे प्रदान करेगी, अधिकतम पांच वर्ष के लिए।
- 2016 के संशोधन : संसद, विधि द्वारा, एक निश्चित अवधि के लिए राज्यों को राजस्व की हानि होने पर मुआवजा प्रदान करेगी। यह अवधि पांच वर्ष तक की हो सकती है। यह जीएसटी परिषद के सुझावों के आधार पर निर्धारित होगा। इसका अर्थ यह है कि मुआवजा पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान करना होगा।
- सिलेक्ट कमिटी, 2015 : संशोधन सिलेक्ट कमिटी के सुझावों के अनुरूप हैं।

विवाद का समाधान

- 2014 का बिल (क्लॉज 12) : जीएसटी परिषद सुझावों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के तौर-तरीकों के संबंध में निर्णय ले सकती है।
- 2016 के संशोधन : जीएसटी परिषद सुझावों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेने के लिए एक तंत्र की स्थापना करेगी। विवाद निम्नलिखित के मध्य हो सकते हैं : (क) केंद्र बनाम एक या

एक से अधिक राज्य, (ख) केंद्र और राज्य बनाम एक या एक से अधिक राज्य, और (ग) राज्य बनाम राज्य। इसका अर्थ यह है कि विवादों को हल करने के लिए एक स्थायी तंत्र होगा।

- सिलेक्ट कमिटी, 2015 : कोई सुझाव नहीं।

2016 के संशोधनों द्वारा किए गए अन्य परिवर्तन

एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी)

- आईजीएसटी की परिभाषा में बदलाव (क्लॉज 12) : 2014 के बिल के तहत, जीएसटी परिषद एकीकृत माल और सेवा कर के बंटवारे के संबंध में सुझाव देगी। हालांकि इसमें आईजीएसटी की परिभाषा नहीं दी गई है। 2016 के संशोधनों में आईजीएसटी को हटाकर कहा गया है, 'अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्तियों पर माल और सेवा कर की उगाही'।
- एकीकृत जीएसटी का बंटवारा (क्लॉज 9) : यह जीएसटी के बंटवारे के संबंध में तकनीकी परिवर्तन है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि आईजीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी भारत की संचित निधि (कनसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया) का एक भाग नहीं मानी जाएगी।

राज्यों के कर हस्तांतरण में सीजीएसटी और आईजीएसटी का समावेश

- 2014 का बिल (क्लॉज 10) : केंद्र द्वारा संग्रहित और उगाहे गए जीएसटी, आईजीएसटी में राज्यों के हिस्से के अतिरिक्त, (सीजीएसटी और आईजीएसटी में केंद्र का हिस्सा) को भी केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाएगा।
- 2016 के संशोधन : संशोधन कहते हैं कि सीजीएसटी और आईजीएसटी में केंद्र की हिस्सेदारी को केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाएगा। इस तरह 2016 के संशोधन में 2014 के बिल के प्रावधानों को अधिक स्पष्ट रूप से दोहराया गया है।
- सिलेक्ट कमिटी, 2015 : इस पर चर्चा नहीं की गई थी।

1. The Constitution (122nd Amendment) Bill, 2014,

<http://www.prsindia.org/uploads/media/Constitution%20122nd/Constitution%20%28122nd%29%20%28A%29%20bill.pdf>.

2. Report of the Select Committee on The Constitution (122nd Amendment) Bill, 2014, July 22, 2015,

<http://www.prsindia.org/uploads/media/Constitution%20122nd/Select%20comm%20report%20-GST.pdf>.

3. Amendments made by Rajya Sabha to the Constitution (122nd) Amendment Bill on August 3, 2016. List of Business for August 8, 2016, Lok Sabha, August 5, 2016. <http://164.100.47.132/lob/16/IX/LOB8.8.2016.pdf>.

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information. You may choose to reproduce or redistribute this report for non-commercial purposes in part or in full to any other person with due acknowledgement of PRS Legislative Research ("PRS"). The opinions expressed herein are entirely those of the author(s). PRS makes every effort to use reliable and comprehensive information, but PRS does not represent that the contents of the report are accurate or complete. PRS is an independent, not-for-profit group. This document has been prepared without regard to the objectives or opinions of those who may receive it.